संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 3253/सोनभद्र / 33 ,दिनांक, रावर्ट्सगंज, जून 21 ,2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र।

विषय– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सियरिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.200 तक के चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही 11.79हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु अनुमति बाबत् प्रस्ताव।

सन्दर्भ– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक–559 / 67153–पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2022 दिनांक–14.06.2022।

जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सियरिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित हो रही 11.79 हे0 वन भूमि के बदले ग्राम बैजनाथ में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का अधोहस्ताक्षरी ,सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड लोक निर्माण विभाग एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, पटना रेंज द्वारा दिनांक 06.01.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि के आराजी संख्या– 1310ख रकबा–3.80हे0 में अतिक्रमण है, उक्त अतिक्रमित वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकार उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1590 / सोनभद्र / 33 दिनांक–13.01.2022 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था। आप द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आराजी सं0–1310ख रकबा–3.800हे0 मौके पर रिक्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन / परीक्षण करने पर निम्नलिखित कमियां पायी गयी है:–

1. ऑन लाइन पार्ट–1 के बिन्दु संख्या– L. Details of land identified for Compensatory Afforestation में गाटा संख्या– 10 ख के विवरण में जिला– संभल अंकित है तथा 10ख के के0एम0एल0 फाइल के स्थान पर 1310ख का के0एम0एल0 फाइल अपलोड किया गया है ।
2. प्रस्ताव में संलग्न गैर वनभूमि के टोपोशीट में क्षतिपूरक वनींकरण हेतु प्रस्तावित समस्त गाटों को चिन्हित नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव की एक प्रति में प्रभावित होने वाले वनभूमि के जियो रिफरेन्स मानचित्र एवं निर्देशांक पर हस्ताक्षर नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ संलग्न सी0डी0 में कोई डाटा नहीं है।
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न पेनड्राइव में समस्त प्रमाण पत्रों की अलग–अलग स्कैन फाइल उपलब्ध नही है।

2 / ....

अतः प्रस्ताव मूल में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण कराते हुए क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गाटा संख्या– 1310ख का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को नामित कर, क्षेत्रीय वन अधिकारी पटना श्री मुन्ना लाल सिंह मो0नं0– 8858073033 के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कराते हेतु, एक सप्ताह के अन्दर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

संख्या– अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपप्रभागीय वनाधिकारी चुर्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय वन अधिकारी पटना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग के नामित प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण करते हुए, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा प्रस्तावित गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त होने की दशा में उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित प्राक्कलन इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र